न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76/2019

1 मनोज कुमार आयु 44 साल पुत्र स्व. जयपाल जाति जाट पेशा खेती निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजेश कुमार आयु 41 साल पुत्र स्व. जयपाल जाति जाट पेशा खेती निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 'मृतका' श्रीमती रामा देवी उर्फ रामबाई पत्नी स्व. जयपाल जाति जाट पेशा खेती निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.। ' नोट दौराने अपील दिनांक 28.12.2019 को देहान्त हो गया।'
3/1 श्रीमती उषा आयु 50 साल पुत्री स्व. रामादेवी उर्फ रामबाई पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3/2 श्रीमती सुधा आयु 45 साल पुत्री स्व. रामादेवी उर्फ रामबाई पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3/3 श्रीमती सन्तोष आयु 40 साल पुत्री स्व. रामा देवी उर्फ रामबाई पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 मन्जीत आयु करीब 14 साल दत्तक पुत्र स्व. सुग्रीव जाईन्दा पुत्र मनोजकुमार जाति जाट निवासी मालीगांव नाबालिग जरिये वाद मित्र श्रीमती राजेश देवी पत्नी मनोज कुमार जाति जाट पेशा खेती निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तकुमार आयु 65 साल पुत्र स्व. तिलोकाराम जाति जाट निवासी मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

2 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 03.10.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी सन्तकुमार बनाम मनोज आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सीपीसी मु.नं. 80/2018

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवीन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 80/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/आवेदक ने अपीलान्टस/अनावेदकगण नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2/अनावेदक नम्बर 5 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दावा उनवानी सन्तकुमार बनाम मनोज आदि दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 50/2018 किया जो विचाराधीन है। उक्त दावे के साथ ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्टस के खिलाफ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 80/2018 पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 03.10.2019 से अपीलान्टस के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस/अनावेदकगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह दर्ज किया कि विवादित जमीन व अन्य जमीन के बाबत दावा संख्या 85/2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में चला जिसमें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2005 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं में अपील संख्या 109/2005 में निर्णय दिनांक 25.06.2018 से निरस्त कर साक्ष्य लेकर दावा निर्णित करने के लिये रिमाण्ड किया गया। जबाब में यह भी दर्ज किया गया कि मुकदमा नम्बर 80/2018 के आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 1 से 3 व सुग्रीव ने दावा संख्या 85/2003 में प्रतिदावा पेश किया था व इस प्रतिदावे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में यह भी दर्ज किया गया था कि बंटवारे में जमीन खसरा नम्बर 95 रकबा 2.09 हैक्टेयर वाके ग्राम मालीगांव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन्तुकुमार को मिली व खसरा नम्बर 144 रकबा 1.95 हैक्टेयर वाके मालीगांव सुग्रीव को मिली थी। इस दावे व प्रतिदावे के विचाराधीन रहते हुये व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दावा व प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों को छिपाकर गलत पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने आवेदन पत्र में विवादित जमीन तिलोकाराम की होने का कथन किया व तिलोकाराम से विवादित जमीन जयपाल, सुग्रीव, सन्तकुमार को मिलने का कथन किया। तिलोकाराम की लड़कियों श्रीमती मोहनी, श्रीमती बिमला, श्रीमती परमेश्वरी को पक्षकार नहीं बनाया जो आवश्यक पक्षकार है। जयपाल की मृत्यु कब हुई यह भी दर्ज नहीं किया। जयपाल की लड़कियों श्रीमती उषा, श्रीमती सुधा, श्रीमती सन्तोष को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इन तथ्यों को छुपाकर दुरभावना पूर्वक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने गलत दावा व गलत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अनुतोष पाने का अधिकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नहीं है। इस तथ्य पर गौर न कर विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भुल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विवादित जमीन में सुग्रीव का 1/3 हिस्सा होने का कथन कर उसकी मृत्यु के बाद उसके 1/3 हिस्से में से अपना 1/6 हिस्सा घोषित करने व अपीलान्ट नम्बर 4 के हक में गोदपत्र को निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा व दावा में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहा गया। जब दावे में स्थाई निषेधाज्ञा नहीं चाही गई तो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट नम्बर 4 मन्जीत सुग्रीव का दत्तक पुत्र है। सुग्रीव ने अपीलान्ट नम्बर 4 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 12.04.2011 को गोद लिया था। अपीलान्टस नम्बर 4 मन्जीत के जाईन्दा माता पिता ने मन्जीत को सुग्रीव के गोद दिया था गोद गिविंग एण्ड टेकिंग के दस्तुर सहित लिया गया था। इस बाबत दिनांक 21.04.2011 को सुग्रीव ने मन्जीत के हक में गोदनामा निष्पादित कर उप पंजीयक चिड़ावा से रजिस्टर्ड करवाया। इस गोदनामें पर मन्जीत के जाईन्दा माता पिता के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है व दत्तक ग्रहिता की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अंगूठा निशानी है। मन्जीत के स्कूल रिकार्ड में पिता का नाम सुग्रीव दर्ज है। दावा संख्या 85/2003 में प्रतिदावे में सुग्रीव की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट नम्बर 4 को दत्तक पुत्र होने के कारण पक्षकार बनाया गया। इस बिन्दु को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने चुनौती नहीं दी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्राईमा फैसी केश नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जमीन खसरा नम्बर 95 रकबा 2.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 1.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.96 हैक्टेयर वाके ग्राम मालीगांव के बाबत दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। दावा संख्या 85/2003 के जवाब दावे व प्रतिदावे में यह कथन किया गया कि जमीन का विभाजन पहले से किया हुआ है व बंटवारे में जमीन खसरा नम्बर 95 सन्तकुमार को मिलना व कब्जा काश्त होना दर्ज किया। अपनी इस स्वीकारोक्ति के विपरित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में कथन नही कर सकता। इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया गया। दावा संख्या 85/2003 के जवाब दावे व प्रतिदावें में जमीन खसरा नम्बर 138 रकबा 1.96 हैक्टेयर पर पक्षकारान का कब्जा न होना व पक्षकारान की जमीन न होने का कथन किया व यह भी कथन किया कि खसरा नम्बर 138 के विनिमय में जमीन खसरा नम्बर 112 रकबा 1.84 हैक्टेयर व जमीन खसरा नम्बर 117 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर ली हुई है। इस तथ्यों को छुपाया गया व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में यह दर्ज नहीं किया गया कि खसरा नम्बर 138 किसके कब्जे काश्त की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दुरभावना पूर्वक पेश होने से खारिज होने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 14.08.2018 को एक तरफा निर्णय आदेश पारित किया:— अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 95, 138, 144 वाके ग्राम मालीगांव स्थित है राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 05.09.2018 तक बनायी रखे। निर्णय दिनांक 03.10.2019 में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.08.2018 को ता फैसला दावा स्थाई किये जाने का आदेश पारित किया। जो विधि विरूद्ध है। विशेष अनुतोष अधिनियम की धारा 41 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अनुसार पदीय हैसियत से पदाधिकारी को कार्य करने से रोकने के बाबत निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। क्योंकि किसी अधिनियम में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के अधिकार से पदाधिकारियों को नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात का कार्य लैण्ड रिकार्ड आफिसर व तहसीलदार का होता है व इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। आवेदन पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि राजस्व रिकार्ड के परिवर्तन होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को क्या नुकसान होता है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को कोई नुकसान होता भी नहीं है। इस कारण निर्णय दिनांक 03.10.2019 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्टस नम्बर 4 के हक में निष्पादित गोद नामें की वैद्यता को चुनौती देते हुये दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड गोदनामा के निष्पादन के बाबत निर्णय करने में सक्षम नहीं है। रजिस्टर्ड गोदनामा निरस्त कराये बिना सुग्रीव की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। गोदनामा के बाबत भी अस्पष्ट तथ्य रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दर्ज किये व अपीलान्टस के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन जवाब बुल जवाब पेश कर नहीं किया। इस प्रकार निर्णय दिनांक 03.10.2019 तथ्यों व विधि विरूद्ध से खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के हक में साबित होता है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के हक में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किये जाने पर वो अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। वादग्रस्त भूमि में हक हिस्से के बिन्दू तो मूलवाद पत्र में साक्ष्य सबूत आने पर मैरिट के आधार पर तय होने है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा स्थाई कर कोई त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के गोदनामें की वैद्यता को चुनौती देते हुये दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के हक में निष्पादित गोदनामें को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.09.2022 से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज कर दिया है। स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का मामला नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)